LOK SABHA

Thursday, March 14, 1968/Phalguna 24, 1889 (SAKA)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

Shri Mohan Singh Oberoi (Hazaribagh).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली दुग्ध योजना की बोतलों के लेबलों का बदला जाना

*629. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की 'टोंड' दूध की बोतलों के लेबलों के स्थान पर 'स्टैंडर्डाईज्ड' दूध की बोतलों के लेबल लगाये जाने तथा दूध की उन बोतलों को 'स्टैंडर्डाइज्ड' दूध की बोतलों के भाव पर बेचे जाने के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) Surprise raids of depots are undertaken to check such mal-practices. Milk bottles reported to be tampered by the public are brought to the Quality Control Laboratory of the Scheme for testing. Services of Depot staff are terminated in all cases where tampering of seal is established.

श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या सरकार इन तथ्यों के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये तैयार है कि दूध वितरण केन्द्रों पर इस प्रकार के विज्ञापन लगाये या कम्प्लेंट बुक वहां रखे ताकि साधारण जनता कोई भी दोष देखे तो इस प्रकार की रिपोर्ट कर सके ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : It is a suggestion worth examining.

श्री ओ० प्र० त्यागी : इस सम्बन्ध में आपके पास कितनी रिपोर्टस आई हैं और उनकी जांच करने के पश्चात् कितने आदमियों को आपने दोषी पाया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : As far as tampering with seals is concerned, about 30 depot managers were involved during the period from 1-9-67 and their services were terminated.

+

हरियाना में बूचड़खाने की स्थापना के विरुद्ध प्रदर्शन

*630. **श्री रामावतार शर्मा** :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से 17 मील दूर जी० टी० रोड पर एक यंत्रीकृत बूचड़खाना स्थापित किये जाने के विरोध में हरियाना के कुण्डली गांव तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों ने प्रदर्शन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) and (b). Information is being collected from the Government of Haryana and would be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

श्री रामावतार शर्मा : यह इलाका मांस भक्षी नहीं है तो क्यों इस इलाके में बूचड़-खाना खोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : May I say that there is considerable misunderstanding about the slaughter house? First of all, this slaughter house has nothing to do with the slaughter of big animals. As far as the Haryana area is concerned, to which this question refers, there is a total ban on the slaughter of cows. This slaughter house has nothing to do with the slaughter of any such animals or big animals. Some rumours appear to have been spread that this slaughter house is set up in order to slaughter big animals like buffaloes or cows and there seems to be some agitation going on as a result of that. First of all, it does not require the permission of the Government of India to set up such a slaughter house in which sheep, goat, poultry, pigs etc. are slaughtered.

श्री रामावतार शर्मा : दिनांक 7 मार्च 1968 को आचार्य भगवान देव का एक वक्तव्य छपा था । उससे ज्ञात होता है कि पंजाब सरकार ने भी इसका विरोध किया है और आप यह फरमाते हैं कि आपकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है । मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब पंजाब भी इसकी मुखालिफत कर रहा है और आप कहते हैं कि आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है तो कैसे इसको खोला जाएगा ? जब वहां पर इतना इसका विरोध हो रहा है तो क्या कारण है कि वहां की जनता की भावना को इस प्रकार ठुकरा कर इसको वहां खोला जा रहा है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : As far as the Government of India is concerned, it does not come into the picture. According to the municipal laws etc. from the hygienic point of view some permission is necessary if a particular slaughter house is located in the jurisdiction of the municipality or corporation. As far as this slaughter house is concerned, it comes under the jurisdiction of a panchayat samiti. When we consulted the Haryana Government, their Legal Department informed us that permission would be required only from the panchayat samiti provided the concerned panchayat samiti has framed bye-laws under the law under which it is functioning. So far as this panchayat samiti is concerned, it has not framed any bye-laws and, therefore, according to the legal opinion of the Haryana Government, no permission is necessary to set up such a slaughter house.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत सरकार कहीं पिक्चर में नहीं आती है । मैं जानना चाहता हूं कि एसेक्स फार्म के साथ क्या भारत सरकार ने कोई एग्रीमेंट किया है और इसके तहत उसको उन्नीस लाख रुपये का फारेन एक्सचेंज आपने रिलीज किया है या नहीं किया है ?

यह भी कहां तक ठीक है कि आपने ही पंजाब गवर्नमेंट और पीछे हरियाणा गवर्नमेंट पर जोर डाला था कि पंचायत समिति को परसुएड करो और उस पर दबाव डालो कि इसके लिए लाइसेंस दे । पंचायत समिति ने क्योंकि लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया है बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके क्या इस वास्ते ही आप अब यह नहीं कह रहे हैं कि आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है । क्या पंचायत समिति ने आपके सुझाव को और आपके परसुएशन को भी ठुकरा नहीं दिया है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : May I explain the position. It is true that some of the facts are as mentioned by the hon. Members. Some time back, in the year 1963, this firm wanted to set up an integrated meat processing unit and it asked for some foreign exchange. The Food section of our Ministry processed their demand for foreign exchange and Rs. 23 lakhs was sanctioned out of the

Yugoslav credit. But this firm did not utilize it and that credit period has also expired. Now the Government of India has nothing to do with it. What has been set up has been set up with the materials and equipments available in the country itself.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : मैंने पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट एमेक्स फार्म से किया है या नहीं किया है ?

दूसरे मैंने यह पूछा था कि क्या यह सच नहीं है कि पंचायत समिति ने लाइसेंस देने से मना किया है और उसके बाद आपने कहा है कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है ? क्या आपने पहले नहीं कहा था कि लाइसेंस देना चाहिये ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIVAN RAM) : I do not think there is any agreement now with the Government of India, and at no stage have we asked the Haryana Government or the panchayat samiti to give the licence.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : मेरे पास चिट्ठी है

MR. SPEAKER : It does not matter.

SHRI JAGJIWAN RAM : You can show it to me. I will take necessary action.

श्री शिव कुमार शास्त्री : यह कहना पर्याप्त नहीं है कि इस में भैंस या गौ का वध नहीं होगा । यह स्वाभाविक बात है कि जो लोग मांसाहारी नहीं होते उन्हें मांस को देख कर घृणा होती है फिर चाहे वह बकरी का हो या भेड़ का हो या सुअर का हो । उनकी भावनाओं को देखते हुए क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि इसको मूल से ही समाप्त कर दिया जाए ताकि आगे बखेड़ा न हो ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : May I make it emphatically clear that this factory is at the moment processing the slaughtering of sheep, goats, pigs etc. and, as far as the supply is concerned, it is made mostly to the defence departments, and partly to the public. It has nothing to do with the slaughter of cows or big animals. So, any misunderstanding on that score should not be there. The Government of India has nothing to do with it.

श्री अब्दुल गनी डार : आपने कहा है कि वहां गोवध नहीं होगा और दूसरे जानवर कटेंगे । जब वहां की पंचायत समिति नहीं चाहती है और लोग भी नहीं चाहते हैं तो आप क्यों तलखी पैदा करना चाहते हैं । इस वक्त वहां सरकार नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन है । इसलिए आप सीधे जिम्मेवार हैं । अगर आप कोई गलत बात करेंगे तो लोगों में वहां बेचैनी बढ़ेगी और उसकी जिम्मेदारी आपके उपर होगी । आप उसको यहां ले आयें या किसी और जगह ले जायें ताकि झगड़ा न हो । आपको नहीं चाहिये कि आप वहां ऐसा करें ।

[آپ نے کہا ہے کہ وہاں گوبدھ نہیں ہوگا اور دوسرے جانور کٹیں گے - جب وہاں کی پنچایت سمیتی نہیں چاہتی ہے اور لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں تو آپ کیوں تلخی پیدا کرنا چاہتے ہیں - اس وقت وہاں سرکار نہیں ہے اور وہاں راشٹرپتی کا رول ہے - اس لئے آپ سیدھے ذمہ وار ہیں - وہاں آپ کوئی غلط بات کریں گے تو لوگوں میں وہاں بیچنی بڑھے گی اور اس کی ذمہ واری آپ کے اوپر ہوگی - آپ اس کو یہاں لے آئیں یا کسی اور جگہ لے جائیں تاکہ جھگڑا نہ ہو - آپ کو نہیں چاہئے کہ آپ وہاں ایسا کریں -]

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The Haryana Government is competent to deal with the matter and it is the responsibility of the State Government. Haryana can legally look into the matter.

श्री श्रीचन्द गोयल : हरियाणा तो गाय-भैंस इत्यादि पशुधन के लिए ही प्रसिद्ध है और वहां पर भेड़-बकरियां और दूसरे जानवर उतनी संख्या में नहीं मिलते हैं, जितने कि गाय-भैंस मिलते हैं। इस लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा में इस कारखाने की स्थापना करने के पीछे क्या बातें काम कर रही हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस कारखाने की कैपेसिटी क्या होगी। इस में रोजाना कितने पशु मारे जाने की योजना बनाई जा रही है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The first point I have already replied to, that the Government of India has not permitted this, and Haryana Government is competent to deal with the subject. As far as the capacity is concerned, it has a processing capacity of 10 to 13 pigs and 100 to 135 sheep and goats.

श्री शिंकरे : गोआ में

MR. SPEAKER : You are starting with Goa. This is about Haryana.

श्री शिंकरे : यह तो केवल प्रस्तावना है। गोआ में सरकारी क्षेत्र में एक बूचड़खाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है

MR. SPEAKER : That will not be answered. Next question.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : 632.

SHRI R. BARUA : 652 may also be taken up.

MR. SPEAKER : Yes.

राज्यों को खाद्यान्न का संभरण

*632. **श्री कुंवरलाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1968 की अवधि में कितना चावल तथा गेहूं देने का वचन दिया था ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य को कितना चावल तथा गेहूं वास्तव में दिया गया था; और

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य को बहुत थोड़ा चावल मिला था तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) and (b). No definite promise was made by the Central Government for supply of any specific quantities of rice and wheat to the various States during the period 1st April, 1967 to 31st January, 1968. A statement showing quantities of rice and wheat allotted and actually supplied to each State during the period 1st April, 1967 to 31st January, 1968 is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-453/68].

(c) Kerala's share of the rice supplied from Central stocks during the period 1st April, 1967 to 31st January, 1968 was the highest.

श्री कंवरलाल गुप्त : अभी कुछ दिन पहले समाचारपत्रों में निकला था कि जितनी सप्लाई पहले मैंटर स्टेट गवर्नमेंट्स को करना चाहता था, इस में कुछ रिडक्शन की गई, या वह रिडक्शन करना चाहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि सरकार यह रेडक्शन कर रही है, तो वह किस किस डेट में कितनी कितनी रिडक्शन कर रही है। चूंकि अब फ़सल अच्छी है, इसलिए क्या मंत्री महोदय यह विश्वास दिला सकते हैं कि राज्यों को जितना चावल और गेहूं पेट भरने के लिए चाहिए, उतना उन को दिया जायेगा ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : On a point of order. 652 was not answered.

MR. SPEAKER : Let him answer the supplementaries.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The hon. member is well aware that the food situation in the country is improving this year as compared to the two previous years; as a result of good crops as well as good prospects of rabi crops, the availability of various foodgrains in the